भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4803
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

4803. श्री राजू बिष्टः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में 2019 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और स्वीकृत एवं उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार एवं जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में नगरपालिका-वार निर्मित, आधारशिला रखे गए और पूर्ण किए गए मकानों की संख्या कितनी है; और
(ग) क्या दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के अंतर्गत नगरपालिकाओं में पीएमएवाई-यू लाभार्थियों को धनराशि के संवितरण में कोई देरी हुई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना इस योजना की अवधि दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वयन कर रहा है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.15 लाख आवासों सहित कुल 119.31 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 112.98 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और दिनांक 04.08.2025 तक पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 93.81 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अब तक कुल 6,15,105 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 9,965.78 करोड़ रूपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता उपलब्ध है, जिसमें से 8,907.91 करोड़ रूपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। स्वीकृत कुल आवासों में से, कुल 6,06,060 आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिनमें से 4,65,657 आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और जिले-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। पीएमएवाई-यू के तहत दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या का नगरपालिका-वार विवरण अनुलग्नक -II में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएवाई-यू के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर आवास निर्माण हेतु तीन किस्तों में क्रमशः 40%, 40% और 20% की केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के अंतर्गत नगर पालिकाओं सहित आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुपालनों के आधार पर लगातार देय किस्तें जारी कर रहा है। राज्य के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के अंतर्गत नगर पालिकाओं सहित पश्चिम बंगाल को निधियां जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है।

*****

दिनांक 21.08.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4803 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के तहत वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और जिले-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	ज़िला	स्वीकृत केंद्रीय सहायता				जारी केंद्रीय सहायता *							उपयोग की गई केंद्रीय सहायता				
		2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24
1	अलीपुरद्वार	0.41	17.29	5.09	0.93	6.27	7.75	1.17	8.35	0.19	1.33	7.13	6.27	7.75	1.17	8.35	0.11
2	बांकुड़ा	10.25	33.76	33.86	4.26	20.27	32.68	4.90	21.40	18	4.29	13.79	20.27	32.68	4.90	21.40	12.82
3	बीरभूम	35.82	177.54	113.96	6.72	51.66	88.67	11.45	103.70	51.74	44.32	71.81	51.66	88.67	11.45	103.70	39.31
4	कूच बिहार	17.52	19.63	47.89	1.83	8.34	32.87	2.61	26.57	18.71	0.4	4.88	8.34	32.87	2.61	26.57	13.95
5	दक्षिण दिनाजपुर	7.93	25.99	41.25	1.45	15.38	27.51	1.89	14.38	19.62	(6.08)	5.66	15.38	27.51	1.89	14.38	13.2
6	दार्जिलिंग	24.73	67.27	65.94	9.49	21.78	55.46	16.16	30.20	11.83	(0.55)	17.04	21.78	55.46	16.16	30.20	11.83
7	हुगली	101.37	117.45	135.70	28.78	86.73	145.52	45.61	82.25	93.3	19.92	40.71	86.73	145.52	45.61	82.25	73.31
8	हावड़ा	93.77	90.18	198.29	25.85	44.61	95.21	38.75	85.38	34.91	84.19	34.33	44.61	95.21	38.75	85.38	33.95
9	जलपाईगुडी	15.18	39.86	72.97	2.50	9.71	45.80	4.44	2.23	37.69	19.93	(4.22)	9.71	45.80	4.44	2.77	29.77
10	झारग्राम	2.18	1.81	7.82	0.55	6.82	2.62	2.07	1.93	3.36	3.24	3.65	6.82	2.62	2.07	1.93	3.27
11	कलिम्पोंग	8.75	0.06	24.37	0.06	1.92	5.20	0.05	8.98	0.28	4.61	12.25	1.92	5.20	0.05	8.98	0.28
12	कोलकाता	105.84	197.60	132.11	99.64	108.96	154.43	121.22	106.46	0	14.65	8.98	108.96	154.43	121.22	106.46	0
13	मालदा	3.67	59.34	22.00	3.41	16.61	14.93	7.79	25.32	13.36	18.53	6.35	16.61	14.93	7.79	25.32	10.81
14	मुर्शिदाबाद	112.08	139.27	245.73	4.84	62.48	90.62	8.57	132.47	77.48	82.53	79.45	62.48	90.62	8.57	132.47	61.28
15	नादिया	27.77	105.86	135.67	7.62	38.22	107.29	7.53	60.29	92.01	47.37	48.95	38.22	107.29	7.53	60.29	72.43
16	उत्तर 24 परगना	216.76	361.20	322.61	65.24	196.29	345.79	80.67	180.52	199.16	79.04	170.76	196.29	345.79	80.67	180.52	167.76
17	पश्चिम बधमान	47.10	67.53	100.42	10.94	26.13	58.26	26.45	40.20	14.39	25.11	15.67	26.13	58.26	26.45	40.20	14.39
18	पश्चिम मेदिनीपुर	35.01	96.99	51.40	8.04	52.00	58.95	11.02	42.65	44.66	20.7	30.35	52.00	58.95	11.02	42.65	35.15
19	पूर्व बर्धमान	42.58	70.81	51.88	8.49	35.79	39.01	13.91	37.43	34.13	36.87	43.99	35.79	39.01	13.91	37.43	24.95
20	पूर्व मेदिनीपुर	44.71	6.24	102.45	2.46	25.72	68.12	3.15	6.65	79.99	(5.53)	33.01	25.72	68.12	3.15	6.65	62.17

क्र. सं.	ज़िला	स्वीकृत केंद्रीय सहायता				जारी केंद्रीय सहायता *							उपयोग की गई केंद्रीय सहायता				
		2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24	2024- 25	2025- 26	2019- 20	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023- 24
21	पुरुलिया	25.26	36.16	25.14	2.41	9.41	22.80	2.46	20.63	21.5	(4.44)	10.37	9.41	22.80	2.46	20.63	16.54
22	दक्षिण 24 परगना	25.47	89.53	97.14	12.60	54.21	69.52	17.89	65.39	37.35	16.3	37.25	54.21	69.52	17.89	65.39	30.34
23	उत्तर दिनाजपुर	48.95	39.46	70.96	1.01	32.04	36.97	1.48	34.83	41.65	8.98	24.11	32.04	36.97	1.48	34.83	32.67
कुल		**1,053.10**	**1,860.86**	**2,104.65**	**309.14**	**931.34**	**1,606.01**	**431.24**	**1,138.23**	**945.31**	**515.71**	**716.27**	**931.34**	**1,606.01**	**431.24**	**1,138.77**	**760.29**

*इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत आवासों हेतु केन्द्रीय सहायता से, इस वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता शामिल है।

दिनांक 21.08.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4803 के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक-II

पीएमएवाई- यू के अंतर्गत दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या का नगर पालिका-वार विवरण

क्र. सं.	**जिला शहर**	**स्वीकृत आवास**	**निर्माणाधीन आवास**	**पूर्ण आवास**
दार्जिलिंग				
1	दार्जिलिंग	2,888	2,779	1,211
2	कुर्सियांग	1,796	1,333	310
3	मिरिक	2,491	2,439	1,192
4	सिलीगुड़ी	8,107	8,107	4,615
कलिम्पोंग				
1	कलिम्पोंग	2,766	2,364	1,922